परिपत्र संख्या 7/2013

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(507)विधि/13/ 2815 दिनांकः 7-5-13

-::परिपत्र::-

दिनांक 29.04.13 को शासन सचिव वित्त (राजस्व) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में विभागीय न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बैठक में उनके द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि कई प्रकरणों के निर्णय की जानकारी उनके द्वारा विभाग को अपनी ओर से दी जाती है जबकि यह जानकारी निर्णय की प्रति के साथ संबंधित प्रभारी अधिकारी की ओर से निर्णय के तुरन्त पश्चात् मुख्यालय पर भिजवानी चाहिये।

माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां कई बार तो 1 से 1½ वर्ष पश्चात् तक भी प्राप्त नहीं होती है जो कत्तई उचित नहीं है. यही नहीं निर्णय विभाग के विरूद्ध पारित होने की स्थिति में निर्णय के विरूद्ध अपील करने की मियाद भी निकल चुकी होती है तथा प्रकरण में भारी राजस्व राशि/विधिक बिन्दु निहित होने के कारण अपील करने में अत्याधिक विलम्ब के कारण कठनाई उत्पन्न होती है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक प्रभारी अधिकारी अपने संबंधित सिविल वाद से लेकर विशेष अनुमति याचिका तक के प्रकरणों की अघतन जानकारी हतु उनके कार्यालय में कम्प्यूटर पर कार्यरत कर्मचारी को निर्देशित करें कि वो प्रतिदिन/साप्ताहिक राजस्थान उच्च न्यायालय/उच्चतम् न्यायालय की वेबसाइट पर केस स्टेट्स की जानकारी प्राप्त कर अपने कार्यालय अध्यक्ष को अवगत कराये। वेबसाइट पर यदि किसी प्रकरणों को निर्णित होना बताया जावे तो उसके निर्णय की प्रति अविलम्ब प्राप्त कर उसका परीक्षण किया जावे यदि निर्णय विभाग के पक्ष में पारित किया गया है तो तदानुसार संबंधित पक्षकार से वसूली की जावे अन्यथा निर्णय विभाग के विरूद्ध पारित होने पर निर्णय के विरूद्ध अपील करने/नहीं करने बाबत राजकीय अभिभाषक/अतिरिक्त महाधिवक्ता से उनकी विधिक राय/टिप्पणी प्राप्त कर अपील/नो अपील के प्रस्ताव शीघ्र मुख्यालय भिजवाये।

उक्त निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(राम खिलाड़ी मीणा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(507)विधि/13/ 2816 - 3340 दिनांकः 7-5-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को दि0 29.04.13 को आयोजित बैठक के सन्दर्भ में।
2. उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखापरीक्षा-II, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीशों का पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली। (पांच प्रतियों में)
6. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजायक, राजस्थान।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
10. लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
11. उप/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय-अजमेर।
12. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
13. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
14. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
15. नलिन जी. नारायण डिप्टी काउंसिल राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
16. श्री के.के. बिस्सा, राजकीय अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
17. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
18. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
19. ए.सी.पी., मुख्यालय, अजमेर।
20. प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर।
21. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
22. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
23. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(सूर्यप्रकाश पुरोहित)
उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर